संख्या–1258/60–1–17–1/13(71)/06

निदेशक कैम्प
पत्रांक 654/G.....
दिनांक 8/7/17.....

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 05 जून, 2017

विषयः– आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत स्टेट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से खुले आश्रय गृहों के प्रस्ताव का चयन कर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् अपने पत्र संख्या–213/म0क0निदे0/प्रोबे0–04/प्रो0अ0गृ0/2017–18, दिनांक 11.05.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार शासनादेश संख्या–839/60–1–10–1/13(71)/06, दिनांक 14.03.2011 में निम्न संशोधन किया जाता है कि " **संबंधित शासनादेश में** उपरोक्त प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाय। जनपद स्तर पर सार्वजनिक विज्ञापन के उपरान्त बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त सर्वश्रेष्ठ 01(एक) प्रस्ताव को जिला बाल संरक्षण समिति (डी0सी0पी0एस0) जिसका पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी है, के अनुमोदन/संस्तुति के साथ निदेशक, महिला कल्याण को प्रेषित किया जायेगा। " एवं शासनादेश संख्या–1274/60–1–10–1/13(71)/06, दिनांक 30.05.2011 में निम्न संशोधन किया जाता है कि " **जनपद स्तर से विहित प्रक्रिया के अनुसार जिला** बाल संरक्षण समिति द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में से सर्वश्रेष्ठ एक (अधिकतम 02 सर्वे के आधार पर) चयनित प्रस्ताव को आवश्यक अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर खुला आश्रय गृह के संचालन की अनुमति प्रदान करते हुए खुला आश्रय गृह का किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी की आख्या/संस्तुति के आधार पर कार्यवाही पूर्ण करायी जाय। तदोपरान्त भारत सरकार द्वारा संबंधित संस्था के लिए पी0ए0बी0 में भारत सरकार द्वारा वांछित अभिलेख यथा किशोर न्याय

अधिनियम द्वारा संस्था का निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र, कर्मचारियों तथा बच्चों की सूची प्रेषित करते हुए अनुमोदन/केन्द्रांश की मांग की जाय। केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त पंजीकरण की तिथि से खुला आश्रय गृह के लिए सहायता अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया जाय। ''

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– /60–1–17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव